कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

आदेश

उपजिलाधिकारी, स्याना (बुलन्दशहर) के पत्रांक 2456/एसटी–एसडीएम/2020 तथा श्री संदीप पारचा, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय स्याना (बुलन्दशहर) के द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिनांक 01.09.2020 को श्री रविन्द्र कुमार, राजस्व निरीक्षक, तहसील स्याना (बुलन्दशहर), जो तहसील स्याना, (बुलन्दशहर) में कार्यरत है। इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए तहसील परिसर व ग्राम न्यायालय, स्याना जो उक्त तहसील परिसर में ही स्थित है का सैनेटाईजेशन करते हुए 24 घण्टे न्यायालय परिसर बंद करने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/सीपीसी/ईकोर्ट/ इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में दिनांक 02.09.2020 को वाह्य स्थित ग्राम न्यायालय, स्याना (बुलन्दशहर) सैनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु बन्द रहेगा तथा दिनांक 03.09.2020 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक–01.09.2020

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय स्याना (बुलन्दशहर)।
2. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, स्याना (बुलन्दशहर)।
3. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

01/09

दिनांक–01.09.2020

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।